संख्या-219/2026/2562/सैंतीस-2-2026-1(4)/2026-2073880

प्रेषक,

विवेक श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।
2- **निदेशक,**
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-28 अक्टूबर, 2026

विषयः-**अनुदान संख्या 15 के अधीन पशुधन प्रक्षेत्र पर पशुओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी आधुनिकीकरण की योजना (रा.यो.) के संचालन हेतु गाइडलाईन्स।**

महोदय,

पशुधन की आनुवंशिक गुणवत्ता और उत्पादकता में सतत सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान तथा उन्नत वैज्ञानिक प्रजनन कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन कार्यक्रमों की सफलता और मूल्यांकन के लिए प्रजनन, उत्पादन तथा स्वास्थ्य मापदंडों का सूक्ष्म डेटा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनुदान संख्या 15 के अधीन पशुधन प्रक्षेत्र पर पशुओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी आधुनिकीकरण की योजना (रा.यो.) संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी गाइडलाइन्स निम्नवत् हैः-

पशुधन प्रक्षेत्र पर पशुओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी आधुनिकीकरण की योजना (रा.यो.)

योजना की पृष्ठभूमि :-

उ0प्र0 पशुपालन विभाग के अन्तर्गत राजकीय पषुधन प्रक्षेत्र, चकगंजरिया स्थित निबलेट-बाराबंकी एवं यू0पी0एल0डी0बी0 के अन्तर्गत अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र संचालित हैं, जहां राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, चकगजरिया स्थित निबलेट-बाराबंकी पर स्वदेशी ''साहीवाल'' नस्ल के गोवंशीय पशुओं का संरक्षण और संवर्धन कर उन्नतशील नस्ल के सांड़ों का उत्पादन किया जा रहा है तथा अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र पर नर वत्सों का संरक्षण कर उच्च गुणवत्ता के सीमेन का उत्पादन कर प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है, जो पशुधन की आनुवंशिक सुधार और क्षमता निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

योजना की आवश्यकता :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पशुधन की आनुवंशिक गुणवत्ता और उत्पादकता में सतत सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान तथा उन्नत वैज्ञानिक प्रजनन कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन कार्यक्रमों की सफलता और मूल्यांकन के लिए प्रजनन, उत्पादन तथा स्वास्थ्य मापदंडों का सूक्ष्म डेटा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। हालांकि, वर्तमान में विशेष तकनीकी जनशक्ति की भारी कमी के कारण दैनिक कार्यों का निष्पादन प्रभावित होता है, जिससे मानवीय त्रुटियों की आशंका बनी रहती है। पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, फार्म संचालन का एक केंद्रीय स्तंभ है, संस्था नियमित रोग निगरानी, कड़े जैव-सुरक्षा प्रोटोकॉल, व्यवस्थित टीकाकरण और समय पर चिकित्सा सुधार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, किंतु सीमित कार्यबल पर अत्यधिक कार्यभार होने के कारण चुनौतियां बढ़ रही हैं। फिलहाल हीट पीरियड की पहचान और रोगों के प्रारंभिक लक्षणों के लिए पारंपरिक रूप से भौतिक अवलोकन पर निर्भर रहना पड़ता है, जो अब अपर्याप्त साबित हो रहा है। इसके चलते निवारक (Preventive) और उपचारात्मक (Curative) स्वास्थ्य देखभाल उपायों को समयबद्ध तरीके से लागू करना कठिन हो जाता है।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, यह फार्म IoT–-आधारित रियल-टाइम पशुओं के स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली जैसे अत्याधुनिक डिजिटल हस्तक्षेपों को अपनाने हेतु एक आदर्श प्रक्रिया प्रस्तुत करता है। स्मार्ट सेंसर विद वियरएबल डिवाइसेस और स्वचालित डेटा प्लेटफ़ॉर्म का एकीकरण वर्तमान तकनीकी जनशक्ति की कमी से निपटने की एक परिचालन आवश्यकता (Operational Necessity) बन गया है। यह तकनीक सीमित कर्मचारियों को पशुधन (Herd) की 24×7 सटीक निगरानी और कुशल प्रबंधन करने में पूरी तरह सक्षम बनाती है।

<u>क्रियान्वयन स्थल :-</u>

पशुपालन के अधीन संचालित राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, चकगजरिया स्थित निबलेट-बाराबंकी एवं यू0पी0एल0डी0बी0 के अन्तर्गत संचालित अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र पर संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

<u>योजना के उद्देश्य :-</u>

- निरंतर निगरानीः- IoT आधारित रियल टाइम मानिटरिंग कालर का उपयोग करके स्वदेशी पशुओं में शारीरिक और व्यवहारिक स्वास्थ्य मानकों की निरंतर, 24×7 रियल टाइम ट्रैकिंग स्थापित करने के लिए।
- प्रारंभिक चिकित्सा की सुविधाः सब क्लीनिकल रोगों, शारीरिक तनाव और प्रजनन संबंधी विसंगतियों का शीघ्र पता कर ससमय निस्तारण करना।
- प्रजनन क्षमता में वृद्धिः मदकाल (हीट पीरियड) का पता लगाने की सटीकता में उल्लेखनीय सुधार करना, जिससे गर्भधारण को ससमय किया जा सके।
- पशु चिकित्सा व्यय को कम करनाः समग्र पशु चिकित्सा उपचार लागत को कम करने और सक्रिय, स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से दवाओं पर निर्भरता को कम करने के लिए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- हर्ड प्रबंधन को डिजिटाइज करनाः स्वदेशी प्रजनन स्टॉक के लिए व्यापक स्वास्थ्य प्रबन्धन, प्रजनन और प्रदर्शन रिकॉर्ड का एक केंद्रीकृत, डिजिटल भंडार बनाना।
- एक स्मार्ट फार्म प्रतिमान स्थापित करनाः सुविधा को एक स्केलेबल ''पायलट स्मार्ट पशुधन फार्म'' मॉडल के रूप में विकसित करना, जो कि भविष्य में अन्य पशुधन प्रक्षेत्रों के लिये डिजिटल ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करेगा।

<u>योजना का संचालन :-</u>

- निर्धारित/लक्षित हर्ड निगरानी के लिए आई0ओ0टी0 आधारित उपकरणों की स्थापना करना।
- हार्डवेयर एकीकरणः शारीरिक और व्यवहार संबंधी डेटा को लगातार कैप्चर करने के लिए चयनित पशुओं को वियरेबल ।oT कालर उपकरणों से लैस करना।
- रियल टाइम डेटा रीचः पशुओं का रियल टाइम डेटा एक डिजिटलाइज्ड प्लेटफार्म तक सुरक्षित पहुंचाना एवं पशु चिकित्सा अधिकारियों और तकनीकी कर्मचारियों के लिए डैशबोर्ड और मोबाइल पर अलर्ट की सुविधा उपलब्ध कराना।

<u>योजना का नोडल अधिकारी :-</u>

संयुक्त निदेशक (प्रक्षेत्र एवं पशुधन विकास), मुख्यालय, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ योजना के नोडल अधिकारी होंगे। राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र के प्रभारी/अधीक्षक अपने प्रक्षेत्र में तथा संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र अपने केन्द्रों में उप-नोडल अधिकारी के रूप में योजना संचालित करेंगे। उप-नोडल अधिकारी राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र से सम्बन्धित योजना की प्रगति/सूचनायें उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग को एवं अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र से सम्बन्धित योजना की प्रगति/सूचनायें उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद को उपलब्ध कराने के साथ ही योजना की प्रगति से नोडल अधिकारी को भी नियमित रूप से अवगत करायेंगे। नोडल अधिकारी संकलित प्रगति निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

<u>योजना क्रियान्वयन समिति :-</u>

1. राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चकगजरिया स्थित निबलेट-बाराबंकी हेतुः-

(क)	अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चकगजरिया स्थित निबलेट-बाराबंकी	अध्यक्ष
(ख)	पशुचिकित्साधिकारी, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चकगंजरिया स्थित निबलेट-बाराबंकी	सदस्य
(ग)	पशुधन अनुभाग प्रभारी, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चकगजरिया स्थित निबलेट-बाराबंकी	सदस्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद के अन्तर्गत संचालित अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र हेतुः-

(क) संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	अध्यक्ष
(ख) उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	सदस्य
(ग) पशुचिकित्साधिकारी, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	सदस्य सचिव

<u>योजना का अनुश्रवण :-</u>

उक्त योजनान्तर्गत अधीक्षक, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चकगजरिया स्थित निबलेट-बाराबंकी द्वारा सम्बन्धित सूचनाएं संकलित कर उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध करायेंगे। उप निदेशक (प्रक्षेत्र) का यह दायित्व होगा कि संकलित सूचनाओं का परीक्षण कर अपने स्तर से नोडल अधिकारी, अपर निदेशक (गो0वि0), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र अपनी संस्था की सूचना संकलित कर नोडल अधिकारी, संयुक्त निदेशक प्रक्षेत्र एवं पशुधन विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के साथ-साथ एक प्रति उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद को प्रस्तुत करेंगे।

<u>योजना क्रियान्वयन हेतु आवश्यकताएं :-</u>

1. खरीद एवं निविदा प्रक्रियाः-

1.1 निविदा समिति का गठन - परियोजना की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक तकनीकी-सह-क्रय समिति का गठन किया जायेगा जिसमें पशु चिकित्सक, आईटी विशेषज्ञ और वित्त एवं लेखा अधिकारी शामिल हों।

1.2 GeM पोर्टल का उपयोग: निविदा प्रक्रिया GeM के माध्यम से द्वि-बोली प्रणाली के तहत किया जायेगा।

1.3 कार्यादेश एवं अनुबंध: सफल निविदाकार से कुल लागत का 5-10% निष्पादन बैंक गारंटी प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यादेश जारी किया जाएगा तदोपरान्त निविदा अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

2. उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना एवं एकीकरणः-

2.1 भौतिक सत्यापन उपकरणों की डिलीवरी होने पर योजना की क्रियान्वयन समिति द्वारा उपकरणों की संख्या, भौतिक स्थिति और गुणवत्ता (टिकाऊपन) का सत्यापन किया जाएगा।

3. IoT आधारित रियल टाइम मानिटरिंग कालर संचालित करने की प्रक्रियाः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.1 एजेंसी के तकनीकी कर्मचारियों की देखरेख में पशुओं को कॉलर पहनाए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कॉलर न तो बहुत अधिक कसे हों और न ही ढीले, ताकि पशुओं को कोई असुविधा न हो।

3.2 प्रत्येक कॉलर की विशिष्ट आईडी (Unique ID) को संबंधित पशु के टैग नंबर और रिकॉर्ड के साथ सॉफ्टवेयर में मैप किया जाएगा।

3.3 IoT आधारित रियल टाइम मानिटरिंग कालर संचालित करने की प्रक्रिया का समस्त कार्य क्रियान्वयन समिति के समक्ष किया जायेगा।

4. सर्वर एवं गेटवे एकीकरण :-

4.1 प्रक्षेत्र में सुरक्षित गेटवे स्थापित किए जाएंगे, जिनमें न्यूनतम 24 घंटे का बैकअप हो एवं आपातकालीन स्थिति में संकलित डेटा संरक्षित किये जाने की व्यवस्था हो जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उक्त डेटा को वापस सिस्टम में लिया जा सके।

4.2 डेटा का NIC एम्पैनल्ड क्लाउड सर्वर पर स्वचालित सिंक सुनिश्चित किया जाएगा।

5. सिस्टम का दैनिक संचालन एवं क्षमता निर्माण :-

5.1 डैशबोर्ड निगरानी।

5.2 प्लेटफॉर्म: एक सुरक्षित, केंद्रीकृत क्लाउड-आधारित वेब डैशबोर्ड और मोबाइल/डेस्कटॉप एप्लिकेशन (Windows/Android/iOS) उपलब्ध कराना, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सुचारू रूप से कार्य करे।

5.3 पशु चिकित्सक प्रतिदिन सुबह और शाम वेब डैशबोर्ड/मोबाइल ऐप के माध्यम से पशुओं की रीयल-टाइम स्थिति की निगरानी करेंगे।

6. अलर्ट प्रबंधन :-

6.1 मदकाल अलर्ट सिस्टम द्वारा हीट पीरियड का अलर्ट प्राप्त होते ही, पशु चिकित्सक पशु की जांच करेंगे और सही समय पर कृत्रिम गर्भाधान सुनिश्चित करेंगे (हीट डिटेक्शन सटीकता >90% होनी चाहिए)।

6.2 बीमारी (Disease) अलर्ट जुगाली (Rumination) या तापमान में परिवर्तन का अलर्ट मिलने पर, क्लिनिकल लक्षण दिखने से पहले ही पशु को अलग कर उपचार शुरू किया जाएगा।

6.3 सिस्टम में गलत अलर्ट की दर किसी भी परिस्थिति में 1.5% से 2.0% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7. क्षमता निर्माण :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संचालन शुरू होने से पहले एजेंसी द्वारा प्रक्षेत्र के सभी नामित अधिकारियों/कर्मचारियों को मोबाइल ऐप के उपयोग और बैटरी अलर्ट/खराबी होने पर रिपोर्ट करने का हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण (Hands–on Training) दिया जाएगा।

8. सेवा स्तर समझौता एवं तकनीकी निगरानीः-

8.1 नोडल अधिकारी प्रतिमाह सिस्टम के अपटाइम (न्यूनतम 99.5%) की समीक्षा करेंगे।

8.2 यदि किसी हार्डवेयर या सॉफ़्टवेयर में खराबी आती है, तो संयुक्त निदेषक, डी0एफ0एस0/अधीक्षक तुरंत एजेंसी को शिकायत दर्ज कराएंगे।

8.3 हार्डवेयर (सेंसर, कॉलर, गेटवे आदि) की भौतिक खराबी, कालर टूटने, बैटरी ड्रेन, या सॉफ्टवेयर/नेटवर्क कनेक्टिविटी से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज होने के अधिकतम 24 से 30 घंटे के भीतर उसका पूर्ण समाधान करना अनिवार्य होगा।

8.4 सेवा स्तर समझौता अनुपालनः एजेंसी को 24 से 48 घंटे के भीतर समस्या का समाधान करना होगा। ऐसा न करने पर ₹1,000/- प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा।

8.5 मुख्य प्रदर्शन संकेतक समीक्षाः मासिक आधार पर KPIs (जैसे- ब्यांत के अंतराल में 10 प्रतिशत की कमी, एंटीबायोटिक उपयोग में कमी) की समीक्षा क्रियान्वयन समिति द्वारा करने उपरान्त उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी।

9. भुगतान प्रक्रिया एवं वित्तीय नियम :-

परियोजना के लिए कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। भुगतान निम्नलिखित चरणों में संबंधित नोडल अधिकारी (संयुक्त निदेशक प्रक्षेत्र एवं पशुधन विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ) के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा :-

- प्रथम चरण (40%) साइट पर हार्डवेयर और उपकरणों की 100% आपूर्ति पर।
- द्वितीय चरण (30%) उपकरणों की सफल स्थापना और क्लाउड सर्वर एकीकरण पर।
- तृतीय चरण (30%) सफल परीक्षण, कमीशनिंग और स्टाफ के पूर्ण प्रशिक्षण के बाद।

10. कटौतियां :-

बिल भुगतान के समय नियमानुसार TDS, GST–TDS और यदि कोई SLA जुर्माना बनता है, तो उसकी कटौती अनिवार्य रूप से की जाएगी।

11. डेटा सुरक्षा, गोपनीयता एवं निकास प्रबंधन :-

डेटा स्वामित्वः स्मार्ट कॉलर द्वारा एकत्र किया गया पशुओं का संपूर्ण डेटा राज्य सरकार (विभाग) की संपत्ति है। एजेंसी इसका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं करेगी। यदि कम्पनी द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

इसका व्यावसायिक उपयोग करते हुये पाया गया तो तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट करते हुये जुर्माना लगाया जायेगा।

12. साइबर सुरक्षा अनुपालन :-

DPDP (Digital Personal Data Protection) Act और IT Act का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। सिस्टम का CERT-In (Indian computer emergency response team) मान्यता प्राप्त ऑडिटर से सुरक्षा ऑडिट कराया जायेगा।

13. निकास प्रबंधन :-

03 वर्ष की वारंटी अवधि समाप्त होने पर, नई निविदा या अनुबंध समाप्ति की स्थिति में, एजेंसी विभाग को योजना से सम्बन्धित समस्त डेटा मशीन-रीडेबल फॉर्मेट में सौंपेगी और सिस्टम को सुचारू रूप क्रियाशील स्थिति में हैंडओवर करेगी।

बजट उपलब्धताः-

प्रश्नगत योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 106-अन्य पशुधन विकास, 08-पशुधन प्रक्षेत्र पर पशुओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी आधुनिकीकरण की योजना(रा0यो0), 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के अन्तर्गत रू0 34.00 लाख तथा 106-अन्य पशुधन विकास, 08-पशुधन प्रक्षेत्र पर पशुओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी आधुनिकीकरण की योजना (रा0यो0), 42-अन्य व्यय अन्तर्गत रू0 16.00 लाख उपलब्ध कराया गया है।

प्रस्तावित योजना के डेटा प्रबन्धन हेतु प्रत्येक योजना स्थल पर 01 कम्प्यूटर आपरेटर को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाना आवश्यक होगा, जिसका भुगतान मानक मद 42-अन्य व्यय से किया जायेगा साथ ही साथ कम्प्यूटर क्रय एवं उससे सम्बन्धित सामग्री पर होने वाले व्यय का भी भुगतान मानक मद-42-अन्य व्यय से किया जायेगा क्योंकि वर्तमान में आउटसोर्सिंग मद में बजट उपलब्ध नहीं है।

सारांश :-

IoT-आधारित पशुओं के स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को लागू करना राज्य के पशुधन प्रक्षेत्रो एवं अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्रों के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति है। लगातार डेटा आधारित निगरानी व्यवस्था अपनाकर, प्रक्षेत्र पर कर्मचारियों की कमी को प्रभावी ढंग से दूर करेगा और साथ ही अपनी बेहतरीन देसी नस्ल के पशुओं की देखभाल के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करेगा।

यह पहल राज्य के पशुधन प्रक्षेत्रो एवं अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्रों के कामकाज को पूरी तरह से आधुनिक बनाएगी जिससे प्रजनन क्षमता बढ़ेगी, दूध उत्पादन अधिकतम होगा, आपातकालीन इलाज का खर्च काफी कम होगा और उच्च-मूल्य वाले

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आनुवंशिक डेटा का पूरी तरह से डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। अंततः यह परियोजना न केवल मौजूदा पशुओं के स्वास्थ्य को सुरक्षित करेगी, बल्कि एक अग्रणी और दोहराए जा सकने वाले ''स्मार्ट फार्म'' मॉडल के रूप में भी काम करेगी, जो उत्तर प्रदेश के सभी राज्य पशुधन फार्मों में एकीकरण के लिए एक नया मानक स्थापित करेगा।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार योजना का प्राथमिकता पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विवेक श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-219/2026/2562(1)/सैंतीस-2-2026-1(4)/2026-2073880, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त/नियोजन/कृषि विभाग।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।